पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

महाप्रबंधक कार्यालय
जनसम्पर्क विभाग
जबलपुर

भारतीय रेल ने धूम्रपान और रेलगाड़ियों में ज्वलनशील सामग्री ले जाने के खिलाफ व्यापक अभियान प्रारंभ किया

पश्चिम मध्य रेल में सभी हितधारकों को जागरूक करने के लिए 15 दिवसीय जागरुकता अभियान चलाया

आरपीएफ द्वारा व्यापक जागरुकता अभियान के अंतर्गत स्टेशनों तथा ट्रेनों में हो रही नियमित जांच

भारतीय रेल में आग से होने वाली दुर्घटनाओं में कुछ दुर्घटनाएं रेलगाड़ी में धूम्रपान एवं ट्रेन से ज्वलनशील सामग्री ले जाने के कारण हुईं हैं, ऐसी दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु भारतीय रेल में संपूर्ण रेल प्रणाली में धूम्रपान तथा ज्वलनशील सामग्री ले जाने के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पश्चिम मध्य रेल में भी रेल सुरक्षा बल द्वारा दिनाँक 21.12.2021 से 05.01.2022 तक मिशन मोड के अंतर्गत जागरुकता अभियान चलाया गया।

सघन जागरुकता अभियानः– पश्चिम मध्य रेल के तीनों मंडलों जबलपुर, भोपाल एवं कोटा के अंतर्गत सभी हितधारकों को जागरूक करने के लिए 15 दिवसीय सघन जागरुकता अभियान चलाया गया। हितधारकों में रेल का उपयोग करने वाले लोगों तथा पार्सल स्टाफ, लीज होल्डर और उनके स्टाफ, पार्सल पोर्टर, कैटरिंग स्टाफ तथा आउटसोर्स किए गए स्टाफ को स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सावधानियों की जानकारी दी जा रही है। प्रत्यक्ष संवाद, आरपीएफ द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से, पोस्टर बैनर, स्टेशनों पर सावर्जनिक घोषणा प्रणाली तथा सोशल मीडिया के माध्यम से धूम्रपान निषेध, रेल से ज्वलनशील सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध, एसएलआरध/वीपीयूध/लीज पार्सल की जांच आदि जैसे कदम उठाने के बारे में हितधारकों को जागरुक किया गया।

आरपीएफ द्वारा व्यापक जागरुकता अभियान के अंतर्गत स्टेशनों तथा ट्रेनों में की जा रही है नियमित जांच :–

पश्चिम मध्य रेल में रेलगाड़ियों तथा रेल परिसर में धूम्रपान विरोधी सघन अभियान चलाया जा रहा है तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध रेल अधिनियम या तम्बाकू अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। रेलगाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री के विरुद्ध नियमित जांच की जा रही है और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। आग लगने, खाना पकाने के लिए अंगीठी जलाने तथा ज्वलनशील मलबा संग्रह के मामलों को रोकने के लिए प्लेटफार्मों, यार्ड, वाशिंग/सिकलाइन पर नियमित जांच की जा रही है। इन जांचों के अंतर्गत ईंधन प्वाइंट भी शामिल हैं। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्री की बुकिंग पर नियंत्रण के लिए पार्सल कार्यालयों/लीज होल्डरों के माध्यम से बुक किए गए पार्सलों की जांच की जा रही है। रेलगाड़ियों तथा प्लेटफार्मों पर अंगीठी या स्टोव का इस्तेमाल करने वाले अधिकृतध/अनाधिकृत वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

संख्याः पमरे/मुख्या/मुजसअधि/प्रेस विज्ञप्ति/576/2022 दिनांक 07.01.2022

सम्माननीय संपादक

कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग करें.

'सधन्यवाद

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर